

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2023

जयपुर, दिनांक :

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.2023 के द्वारा श्री अशोक कुमार कानूनगों, लेखाधिकारी, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर को राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर से कार्यमुक्त करते हुए अपनी उपस्थिति शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
5. परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ
7. कम्प्यूटर सेल

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5017291



Digitally signed by Nimsha Gupta
Designation Joint Secretary To
Government
Date: 2023.11.06 14:08:33 IST
Reason: Approved